

निदेशालय, कॉलेज शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक:- एफ 4 (विविध) काशि/अनु0/09/

दिनांक:-

आदेश

प्रमुख शासन सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान से प्राप्त पत्र के अनुसार विभिन्न जिलों में विभाग द्वारा संचालित उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनाओं के लेखों की विशेष जांच, निदेशक निरीक्षण विभाग के माध्यम से करवाई जा रही है

इस संबंध में कोटा, अलवर, दौसा एवं जयपुर में विशेष जांच हेतु लगे हुए अधिकारियों द्वारा अवगत कराया गया है कि निजी शिक्षण संस्थाओं द्वारा मान्यता/संबद्धता संबंधित एवं अन्य दस्तावेज विभागीय जिला कार्यालय को उपलब्ध नहीं करवाये जा रहे हैं जिससे जांच कार्य संपादित नहीं हो पा रहा है अतः इस विभाग से मान्यता प्राप्त समस्त निजी संचालकों को निर्देशित किया जाता है कि अधिकारियों द्वारा चाहे गये समस्त दस्तावेज विभागीय जिला कार्यालय को आवश्यक रूप से उपलब्ध कराये अन्यथा एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जायेगी ।

निदेशक ।

प्रतिलिपी:-

8068
8.12.2011

1. प्रमुख शासन सचिव, उच्च शिक्षा, शासन सचिवालय, जयपुर को अ0 शा0 पत्रांक एफ 9 (4)(51) वि.जां./छात्र/सामान्याअवि/09/84170 दिनांक 4.11.2011 के संदर्भ में ।
2. संचालक, समस्त निजी महाविद्यालय ।
3. श्री धीरेन्द्र देवर्षि को भेजकर लेख है कि उक्त सूचना को वेब साईट पर अपलोड करायें ।

संयुक्त निदेशक ।